

New Delhi, the 25th July, 2018

S.R.O. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 2 of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010, the following rule shall be substituted, namely :—

“2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules”.

3. In the Schedule to the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Draughtsman) post Recruitment Rules, 2010, —

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, —

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 4 (Rs. 25500 to Rs. 81100)”.

[F. No. A/86320/RR/Draughtsman/DGQA/Adm-10/729 /D(QA)/2018]

R. RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number S.R.O. 17 dated the 27 Apr 2010 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated 01 May, 2010.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' पद (फोटोग्राफिक कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2012 में, —

(1) नियम 2 में “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, वेतन मैट्रिक्स में स्तर शब्द रखे जाएंगे

(2) अनुसूची में, —

(क) फोटोग्राफर श्रेणी-1 पद के सामने, —

(i) स्तम्भ (4) में,—

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5”

(ii) स्तम्भ (11) में, “वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2400/- रु.” शब्दों, अंकों, अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4”

(ख) फोटोग्राफर श्रेणी-2 पद के सामने स्तम्भ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4”

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./फोटो/समूह 'ग'/डीजीक्यूए/प्रशा-10/733/डी(क्यू.ए)/2018]

आर राजेन्द्र गौड़, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 05/05/2012 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 27, तारीख 01.05.2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th July, 2018

S.R.O. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Posts (Photographic Staff) Recruitment Rules, 2012, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' posts (Photographic Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Posts (Photographic Staff) Recruitment Rules, 2012,—

(1) in rule 2, for the words “ pay band and grade pay or pay scale” in both the places where they occur, the words “level in the pay matrix” shall be substituted;

(2) in the Schedule,—

(a) against the post of Photographer Grade-I,—

(i) in column (4),—

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—

“Level in the Pay Matrix”;

(B) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200 -92300);

(ii) in column (11), for the words, figure and letters “ pay band 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400”, the following words, figure, brackets and letters shall be substituted, namely:—

“level 4 in pay matrix (Rs. 25500-81100)”;

(b) against the post of Photographer Grade-II, in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)”

[F. No. A/86320/RR/Photo/Group 'C'/DGQA/Adm-10/733/D(QA)/2018]

R. RAJENDAR GOUD, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, dated the 5th May, 2012 vide Notification S.R.O. 27, dated, the 1st May 2012.

नई दिल्ली 25 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह “ग” (भंडार पालन) पद भर्ती नियम, 2010 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय समूह “ग” (भंडार पालन) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह “ग” (भंडार पालन) पद भर्ती नियम, 2010 में,—

(1) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

(2) अनुसूची में,—

(क) ज्येष्ठ भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4 (25500 से 81100 रु.)”

(ii) स्तंभ (12) में, “5200-20200 रु. के वेतन बैंड और 1900 रुपए ग्रेड वेतन” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19990 से 63200 रु.)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iii) “टिप्पण 1” का लोप किया जाएगा।

(ख) भंडारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्—

“स्तर 2 (19900 से 63200 रु.)”

[फा. सं. ए/86320/आर आर/स्टोरकीपिंग/डीजीक्यूए/प्रशासन-10/730/डी (क्यू ए)/2018]

आर. राजेन्द्र गौड़, अवर सचिव